न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 03/2024
अनवान : –

1. देवेन्द्र पुनिया पुत्र रमेश कुमार जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
2. कमल कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
3. राजेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर।
5. कविता पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर।
6. कमलेश पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी।
7. मीना पत्नी उग्रसेन जाति जाति जाट निवासी 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर।
8. सुमन पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर।
9. सिलोचना पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– असल अप्रार्थीगण

11. देवीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
12. धापी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. महेन्द्र पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
14. सुभाषचन्द्र पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
15. सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
16. सुलतान पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
17. मनीष कुमार पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
18. रमन पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट साकिन 4 आरपीएम तहसील नेाहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट</u>

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**

<u>निर्णय</u> **दिनांकः** 13/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 11 ता 18 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 105/105 की कुल 3.4160 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 182/105 की कुल 3.6680 हैक्ट तथा रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 216/181 की कुल 1.2648 हैक्ट [illegible] 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक चक 4 [illegible] स0 217/181 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 4 के एवं [illegible] आरपीएम तहसील [illegible] के खाता स0 218/181 की कुल 0.5061 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 [illegible] नाम दर्ज राजस्व [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:09:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन हेतु रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के मु0न0 18 के किला न0 11/1 की 0.0250 हैक्ट उत्तरी, 12/1/1 की 0.016 हैक्ट उत्तरी, किला न0 12/2/1 की 0.0096 हैक्ट उत्तरी, किला न0 13/2/1 की 0.009 हैक्ट उत्तरी, 13/1/1 की 0.016 हैक्ट उतरी भूमि किला न0 14/1 की 0.025 हैक्ट उत्तरी, 15/2/1 की 0.025 हैक्ट उत्तरी, मु0न0 17 के किला न0 15/1 की 0.025 हैक्ट उत्तरी तरफ रास्ता रहेगा इसी अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 4 किला न0 13/1, 18/2, 23/2 प्रत्येक में 0.0140 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 6 ता 9 को देगा तथा प्रतिवादी स0 5 किला न0 13/2, 18/2 व 23/2 प्रत्येक में 0.017 हैक्ट 0.017 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 4 को देगा व प्रतिवादी स0 2, 3 किला न0 12/1 व 19/1 व 22/1 प्रत्येक में 0.024 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 5 को देगा एवं प्रतिवादी स0 1 मु0न0 6 के किला न0 16/2, 25/1 की प्रत्येक मं 0.036 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 2, 3 को देगा प्रार्थी स0 1 व तरतीबी अप्रार्थी स0 11 ता 18 मु0न0 17 के किला न0 18, 23 मु0न0 20 कि किला न0 3 प्रत्येक की 0.032 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 1 को देगा इसी अनुसार प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवा पाने का अधिकारी है। यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। प्रार्थी हमेशा से ही उक्त रास्ता से आवागमन कर रहा है इसके सिवाय अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु स्वीकृत शुदा रास्ता नही है इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। अप्रार्थी स0 11 ता 18 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है। अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है तरतीबी अप्राथीगण संख्या 11 ता 18 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण स0 1 ता 10 ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 162/162 की [illegible] हैक्ट भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 11 ता 18 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 105/105 की कुल [illegible] हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 182/105

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:09:51 IST
Reason: SelfAttested

की कुल 3.6680 हैक्ट तथा रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 216/181 की कुल 1.2648 हैक्ट भूमि जो की अप्रार्थी स0 2 व 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 217/181 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 4 के एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 218/181 की कुल 0.5061 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 11 ता 18 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क अंकित किया गया है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 216/181 के प0न0 306/382 मु0न0 18 के किला न0 11/1 की 0.0250 हैक्ट उत्तरी, 12/1/1 की 0.016 हैक्ट उत्तरी, किला न0 12/2/1 की 0.009 हैक्ट उत्तरी, किला न0 13/2/1 की 0.009 हैक्ट उत्तरी, 13/1/1 की 0.016 हैक्ट उत्तरी भूमि किला न0 14/1 की 0.025 हैक्ट उत्तरी, 15/2/1 की 0.025 हैक्ट उत्तरी, मु0न0 17 के किला न0 15/1 की 0.025 हैक्ट उत्तरी किला न0 14/2 की 0.025 हैक्ट पूर्वी, किला न0 17/1 की 0.025 हैक्ट उत्तरी तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता के बदले की भूमि प्रतिवादी स0 4 किला न0 13/1, 18/1, 23/1 प्रत्येक में 0.014 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 6 ता 9 को देगा तथा प्रतिवादी स0 5 किला न0 13/2, 18/2 व 23/2 प्रत्येक में 0.017 हैक्ट 0.017 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 4 को देगा व प्रतिवादी स0 2, 3 किला न0 12/1 व 19/1 व 22/1 प्रत्येक में 0.024 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 9 को देगा एवं प्रतिवादी स0 1 मु0न0 6 के किला न0 16/2, 25/1 की प्रत्येक की 0.036 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 2, 3 को देगा प्रार्थी स0 1 व तरतीबी अप्रार्थी स0 11 ता 18 मु0न0 17 के किला न0 18, 23 मु0न0 20 किला न0 3 प्रत्येक की 0.032 हैक्ट पूर्वी दिशा में प्रतिवादी स0 1 को देगा यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:09:51 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर